न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या: 67/2023 50/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बेबीदेवी वगैरह		राकेश वगैरह

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 19/2/2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक खसरा संख्या 220 का 2/6217 हिस्सा ग्राम डोली तहसील झंवर की कृषि भूमि में प्रवेश नही करे तथा प्रार्थीगण को बेदखल व निर्माणकार्य नही व मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पेश किया। उक्त विवादग्रस्त भूमि में जो धापूदेवी के नाम हैं उसमें वादीगण को खातेदार घोषित कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। जिसके लिए वाद बाबत घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का पेश हैं तथा प्रतिवादीगण जोर–जबरदस्ती वादीगण को बेदखल कर कब्जा का निर्माण हेतु आमादा हैं।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन जारी किये गयें। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता अमरसिंह द्वारा वकालत नामा में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की नानी धापूदेवी पत्नि श्री थानाराम जाति मेघवाल निवासी डोली की खातेदारी भूमि ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 रकबा 100.3671 हैक्टेयर में 2/6217 वां हिस्सा आई हूई है।इस भूमि में धापूदेवी का निरन्तर कब्जा रहा हैं। धापूदेवी का 04.03.1997 स्वर्गवास होने के बाद प्रार्थीगण की माता मदारी देवी खातेदार काबिज हूई। मदारी देवी अनपढ एवं गरीब होने से रेकर्ड में नामान्तरकरण दर्ज नही करवा सकी। इनका भी दिनांक 07.02.2013 को देहान्त हो जाने पश्चात् प्रार्थीगण उत्तराधिकारी होने से काबिज हूए। मात्र बेचान इकरारनामा किसी को बेचान करने का अधिकार नही देता हैं। उक्त इकरारनामा मियाद बाहर हैं। अतः अप्रार्थीगण को अस्थायी निपेधाज्ञा से पाबंद किया जावें तथा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण के हकहिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें तथा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब व बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण अपने आप को धापूदेवी को नानी बता रही है ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के पास नही है। जिसे कि यह साबिज हो सके कि प्रार्थीगण की नानी देवी धापूदेवी हो। उक्त भूमि को धापूदेवी की पुत्री मदारकी देवी से अप्रार्थी संख्या 01 राकेश उर्फ राजेश ने बेचान इकरारनामा दिनांक 27.10.2012 को 60 हजार रूपये में खरीद करना तय कर साई पेटे 50 हजार रूपये रोकड देकर खरीद किया तथा बाद में शेष राशि भी देदी, तब से अप्रार्थी संख्या 01 का ही कब्जा हैं तथा इस पर विद्युत विभाग से अपने नाम विद्युत का कनेक्शन लिया हुआ । इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या साबित नही है ना ही अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष है ना उसे किसी प्रकार की असुविधा हो रही हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि ग्राम डोली के खसरा संख्या 220 रकबा 100.3671 हैक्टेयर में 2/6217 वां हिस्सा जो कि धापूदेवी पत्नि श्री थानाराम जाति मेघवाल के नाम दर्ज है, जिसका नामान्तरकरण प्रार्थीगण के नाम इन्द्राज नही है तथा ना ही विवादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। खातेदार धापूदेवी की पुत्री मदारकी देवी द्वारा दिनांक 27.10.2012 को बेचान इकरारनामा के जरिये विवादग्रस्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना कानूनी रूप से उचित प्रतीत नही होता हैं। तथा प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नही होना पाया जाता हैं इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अपुर्णीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे, इस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
जिला जोधपुर ग्रामीण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

Scanned by CamScanner